

प्राचार्य / संचालक  
एस.आर.सी. भोपाल,  
प्लॉट नं. 76, 81/2/2, 81/2/3,  
कोलार रोड, ग्राम थुआखेडा,  
पो. कोलार, तह. हुजूर  
जिला-भोपाल (म.प्र.)-462042

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रुपये 15,000/- के चालान दिनांक 28.08.2011 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 373 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र. -586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रुपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
2. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है।
3. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रुपये 15,000/-के चालान की मूलप्रति एवं बिन्दु क्र.-02 एवं 03 अनुसार वांछित दस्तावेज दिनांक 09.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमीयों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 27/03/2014

पृष्ठांकन क्र./627 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्यालय : (0755) 2551550, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 620 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

प्राचार्य/संचालक  
बोनीफाई कॉलेज,  
प्लॉट नं.-154/1, ग्राम नरेलाशंकरी,  
पो. अयोध्या, तह. भोपाल  
जिला-भोपाल (म.प्र.)-462021


विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 04.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/- के चालान दिनांक 16.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान प. पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 363 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जाता चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अंतर की राशि रूपये 15,000/-के चालान की मूलप्रति दिनांक 09.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/03/2014

पृष्ठांकन क्र./621 / डी.एड.सेल/2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.  
भोपाल

क्रमांक / 632 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/03/2014

प्राचार्य / संचालक  
एम.आर.सी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
प्लॉट नं.-137, मुखतारना रोड,  
मान पी. ए. रोड, रामपुर,  
जिला-सीहोर (म.प्र.)-466651

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक।  
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रुपये 15,000/- के चालान दिनांक 17.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 367 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रुपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रुपये 15,000/-के चालान की मूलप्रति दिनांक 09.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।




सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 27/03/2014

पृष्ठांकन क्र./634 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर त्रेपित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

O/C copy



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.r ic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0756) 2661660 2701587 फ़ैसा,-- (0756) 2651499, 2652061

क्रमांक / 652 / डी.एड.सेल / 2014  
प्रति.

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक

एच.एल.अग्रवाल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
प्लॉट / खसरा नं.-76 / 2, प्लॉट नं.-26 / 109,  
गली नं. हाईवे, ग्राम उर्धन, पो. बैतूल,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)-460001

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 28.02.2014

— / / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा संचालक मण्डल एवं शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख करते हुये संस्था भवन के समक्ष लिये गये छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर दिनांक 09.04.2013 तक संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 653 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,  
भोपाल